भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2076

सोमवार, 02 दिसंबर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक)

खानों में दुर्घटनाएं और जनहानि

2076. श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओडिशा के अंगुल जिले में हाल ही में हुई खान दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं और खान दुर्घटनाओं के सिलसिले में सुरक्षा में चूक के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि देश की खानों में दुर्घटनाओं की संख्या और जनहानि विदेशी खानों की तुलना में अत्यधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश की खानों की सुरक्षा और कार्यदक्षता के संवर्धन के लिए की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): ओडिशा के अंगुल जिले में हाल ही में हुई खान दुर्घटना का विवरण और उसके कारण निम्नलिखित हैं :-

दुर्घटना की तारीख	खान का नाम	मालिक	कारण
14.03.2019	बलराम ओसीपी	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	जब ऑपनकास्ट कोयला खान की वर्कशॉप में मोटर ग्रेडर का प्रचालन किया जा रहा था तब इसका ऑपरेटर कैबिन से नीचे गिर पड़ा और उसी मोटर ग्रेडर के पिछले पहले पहिये के नीचे आ गया और उसे गंभीर शारीरिक चोट लगी जो बाद में जानलेवा सिद्ध हुई।
28.05.2019	बलराम ओसीपी	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	ऑपनकास्ट खान में एक सुरक्षा गार्ड डंपर से कुचला गया।
20.06.2019	भुबनेश्वरी ऑपनकास्ट परियोजना	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	जब एक ठेकेदार कामगार कनेक्शन की जांच करने के लिए लाइव 230 वोल्ट ट्यूबूलर लाइटिंग पोल के ऊपर चढ़ा तब उसे बिजली का झटका लगा और उसकी करंट लगने से मृत्यु हो गई।
23.07.2019	भरतपुर परियोजना	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	थिन इन-सीटू बैरियर (पार्टिंग) के सामने बड़ा और खुला तथा अधिक भारी कोयले का ढेर रख दिया गया जिससे उसमें दरार आ

			गई और आग इत्यादि लगने से वह अचानक फेल हो गया जिसमें कुछ आदमी उसके नीचे दब गए और उनकी मृत्यु हो गई।
31.08.2019	बलराम ओसीपी	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक आदमी ऑपनकास्ट खान की खदान में बैठा था, जिसे ग्रेडर ने कुचल दिया।

(ख): अन्य देशों में हुई दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़े श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं तथापि, हमारे देश में वर्ष 2001 से 2018 के दौरान खानों में दुर्घटनाओं और उनके परिणामस्वरूप होने वाली मौतों की प्रवृत्ति में क्रमश: 109 से कम होकर 29 और 141 से कम होकर 33 रही।

(ग): देश की खानों में सुरक्षा और कार्यदक्षता बढ़ाने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं :

(1) डीजीएमएस के अधिकारियों द्वारा सुरक्षा मापदण्डों के लिए खानों का निरीक्षण किया जाता है और निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं :

- उल्लंघनों के बारे में बताना
- अनुमति वापस लेना
- सुधार नोटिस जारी करना
- रोजगार पर रोक लगाना
- अनौपचारिक रोक
- विधि न्यायालय में अभियोजन

(2) कोयला खानों में अधिक जोखिम दशाओं के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम भी उठाए जाते हैं :

i. डीजीएमएस द्वारा खानों में सुरक्षा जागरुकता को बढ़ावा दिया और उसका प्रचार किया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) दिए जाते हैं, और खानों में सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। खान कामगारों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए खानों में सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अनुशंसाओं को कार्यान्वित किया जाता है।

ii. सुरक्षा मामलों में सुरक्षा प्रशिक्षण तथा सुरक्षा सप्ताह आयोजन और सुरक्षा अभियान आदि जैसी पहलों के माध्यम से कामगारों की प्रतिभागिता और संवेदनशीलता को सुनिश्चित किया जाता है।

iii. खानों में सुरक्षा मानकों में सुधार लाने हेतु प्रबंधकों और सुपरवाइजरों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

iv. जोखिम को समाप्त करने और कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जोखिम निर्धारण तकनीकों और सुरक्षा प्रबंधन योजना को लागू करना।

v. खानों में असुरक्षित कार्यप्रणाली से बचने के लिए मानक प्रचालन कार्यविधि को लागू करना।

vi. समय-समय पर, चिह्नित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षित प्रचालनों के लिए दिशा-निर्देशों के लिए डीजीएमएस परिपत्रों को जारी किया जाता है।

****